राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1463/2013/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स चित्तौड़गढ़ फिलिंग स्टेशन, चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/03/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 30/वेट/रेस्टोरेशन/12–13/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.5.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–प्रतापगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) ने व्यवहारी के वर्ष 2008–09 में पाया कि व्यवहारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.3.2007 पेट्रोलियम आउटलेट डीलर्स के लिये प्रशमन योजना के तहत आलौच्य अवधि के लिये अपना प्रशमन प्रमाण–पत्र संख्या पी.एस.–2006 दिनांक 24.5.2008 को नवीनीकृत कराया था, लेकिन प्रशमन राशि रूपये 21,860/– दिनांक 20.4.2009 को तथा रूपये 560/– दिनांक 27.6.2009 को जमा कराये, जबकि स्कीम के बिन्दु संख्या 4.01 अनुसार राशि त्रैमासिक रूप से त्रैमास समाप्ति के 7 दिवस में जमा कराई जानी थी। देरी से जमा कराने के बावजूद स्कीम के बिन्दु 5.04 अनुसार प्रशमन राशि मय देरी शुल्क जमा कराये जाने पर भी स्कीम का लाभ लिया जा सकता था। कर निर्धारण अधिकारी ने इस शर्त 5.04 के उल्लंघन के कारण स्कीम का लाभ इन्कार करते हुए कर रूपये 2,48,105/– व ब्याज रूपये 62,445/– आरोपित कर जमा राशि रूपये 22,420/– का समायोजन देते हुए तथा त्रैमासिक विवरण पत्र देरी के लिये धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 500/– आरोपित करते हुए मांग रूपये 3,11,051/– सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपीलीय स्तर पर चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा स्कीम की शर्त के उल्लंघन करने पर बिना कर मुक्ति प्रमाण पत्र रद्द किये ही कर व ब्याज आरोपित कर विधिक भूल की है। अपीलार्थी ने प्रशमन शुल्क मय ब्याज जमा करा दी थी। केवल शास्ति राशि जमा नहीं कराने के आधार पर स्कीम के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर कथन किया कि व्यवहारी ने स्कीम की शर्त संख्या 5.04 में वर्णित अनुसार शास्ति राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उसे स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता तथा इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज आरोपित कर विधिक आदेश पारित किया गया था तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उसकी पुष्टि कर कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2008–09 की अवधि के लिये प्रशमन प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण किया गया था। प्रशमन योजना दिनांक 9.3.2007 अनुसार व्यवहारी को प्रशमन राशि त्रैमासिक रूप से त्रैमास समाप्ति के 7 दिवस में जमा कराये जाने का प्रावधान है। देरी से राशि जमा कराये जाने पर स्कीम की शर्त संख्या 5.04 अनुसार देरी आधारित प्रशमन राशि व ब्याज मय शास्ति जमा कराये जाने पर स्कीम का लाभ स्वीकार किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रशमन प्रमाण–पत्र रद्द किये बिना कर व ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्कीम स्वैच्छिक है तथा इनकी शर्तों की पालना पर ही लाभ स्वीकार किया जा सकता है। शर्तों के उल्लंघन पर करारोपण की नियमित पद्धति अनुसार करारोपण किया जा सकता है। अपीलीय आदेश में स्कीम शर्तों के उल्लंघन के कारण आरोपित कर व ब्याज आरोपण की पुष्टि कर कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
31/03/14